BAR LICENCES

273

संख्याः 08 XXIII/2014/05(13)/2011

प्रेषक,

डा० एस०एस०सन्धु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 03 फरवरी, 2014

विषय :— बार अनुज्ञापन हेतु मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

होटल एवं रेस्टोरेन्ट हेतु बार अनुज्ञापन सम्बन्धी विद्यमान कार्यालय ज्ञाप संख्याः 802/XXIII/2011/05(13)/2011 देहरादून दिनॉकः 12.10.2011 द्वारा निर्धारित मानकों की अधिकता के दृष्टिगत जटिलता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उक्त के आलोक में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत उक्त कार्यालय ज्ञाप को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बार अनुज्ञापन हेतु विद्यमान अन्य शासनादेशों के सम्यक अनुपालन के साथ जिला आबकारी अधिकारी/जिलाधिकारी/आबकारी आयुक्त कार्यालय स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर उपलब्ध आख्या को भली भांति जांचने के उपरांत ही बार अनुज्ञापन हेतु आवेदन अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संदर्भित किये जांय :—

1. जिला स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन विशेष पर जांचोपरांत की गयी संस्तुति।
2. जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से जांचोपरान्त की गयी संस्तुति।
3. आबकारी आयुक्त की संस्तुति सहित आख्या।
4. बार अनुज्ञापनों की संस्तुति के समय आबकारी नियमों के अनुसार होटल/रेस्टोरेंट की स्थिति जिसके लिए बार अनुज्ञापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता हो, अनुरूप है या नहीं अवश्य देख लिया जाय।
5. किसी भी होटल अथवा रेस्टोरेंट को बार लाईसेंस की संस्तुति शासन को अग्रसारित किये जाने से पूर्व रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट को संज्ञान में लेते हुए सक्षम प्राधिकारी से प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
6. प्रस्तावित बार की पार्किंग का कुल क्षेत्रफल कम से कम 600 वर्ग फीट हो ।
7. बार/रेस्टोरेंट में कम से कम 20 ग्राहकों के एक साथ बैठने की समुचित व्यवस्था हो तथा उसका क्षेत्रफल कम से कम 400 वर्ग फीट हो।
8. बार में मदिरा की किस्मों के प्रर्दशन हेतु शोकेस की व्यवस्था हो।

(ए0 आर0 सेमवाल)
संयुक्त आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड

क्रमशः 2

272

9. पुरूषों एवं महिलाओं हेतु अलग–अलग टॉयलेट की व्यवस्था होटल/रेस्टोरेंट में हो।

10. शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से होटल/रेस्टोरेंट को बार अनुज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में पुलिस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन की आख्या।

11. बार अनुज्ञापनों की संस्तुति के सम्बन्ध में विचार करते समय अन्य बिन्दुओं को ध्यान में रखने के साथ निम्न बिन्दुओं पर आख्या :–
    (I) स्थान की उपयुक्तता।
    (II) पात्रता स्तर (खाद्य लाईसेंस आदि) के बारे में विशेष ध्यान दिया जाय।

12. आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र।

13. होटल/रेस्टोरेंट जिसमें बार प्रस्तावित है, का सभी मंजिलों का मानचित्र जो कि सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी(यथा विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, नोटीफाईड एरिया कमेटी आदि) द्वारा अनुमोदित हो अथवा अधिकृत वास्तु निर्माता (Architect) से अनुमोदित हो।

14. न्यूनतम रू 5.50 लाख के पके भोजन की बिक्री पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

उक्त समस्त बिन्दुओं पर आख्या पूर्ण कराये जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय स्तर पर अधिमान्यता के साथ 01 माह में एवं अधिकतम 02 माह की समय–सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। उक्त समय–सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को आवश्यक आख्याओं के साथ आबकारी आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। आबकारी आयुक्त कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं आवश्यक आख्याओं को पंजीकृत करके उन पर कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जायेगी तथा शासन को संदर्भित किये जाने से पूर्व अवेदन पत्र उपरोक्त चैक लिस्ट में वर्णित क्रमानुसार सुसंगत रूप में यथाशीघ्र शासन को प्रस्तुत किये जायेंगे।

भवदीय,

(डा०एस०एस०सन्धु)
प्रमुख सचिव

संख्याः (1)XXIII/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 802 /XXIII/2011/05(13)/2011
देहरादूनः दिनॉकः 12 अक्टूबर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

होटल एवं रेस्टोरेन्ट हेतु बार अनुज्ञापन सम्बन्धी शासन में प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों के परीक्षण में प्रायः यह देखने में आया है कि बार अनुज्ञापन हेतु विद्यमान 03 शासनादेशों क्रमशः शासनादेश दिनांक 06.04.2001, 04.12.2006 व 27.03.2008 में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर आख्या प्राप्त नहीं होती है तथा शासन द्वारा मांगे जाने पर यह आख्या कई चरणों में प्राप्त हो रही है जिससे बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। उक्त के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बार अनुज्ञापन हेतु विद्यमान शासनादेशों के कम में जिला आबकारी अधिकारी/जिलाधिकारी/आबकारी आयुक्त कार्यालय स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर उपलब्ध आख्या को भली भांति जांचने के उपरान्त ही बार अनुज्ञापन के आवेदन अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संदर्भित किये जायें :–

(1) जिला स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन विशेष पर जांचोपरान्त की गई संस्तुति।

(2) जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से जांचोपरान्त की गई संस्तुति।

(3) आबकारी आयुक्त की आख्या।

(4) अनुज्ञापनों के संस्तुति के समय आबकारी नियमों के अनुसार होटल/रेस्टोरेन्ट की स्थिति जिसके लिए बार अनुज्ञापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता हो अनुरूप है या नहीं अवश्य देख लिया जाय। इसके साथ–साथ यह भी देख लिया जाय कि होटल/रेस्टोरेन्ट में गाडी खड़ी करने के लिए पर्याप्त स्थान है या नहीं।

(5) किसी भी होटल अथवा रेस्टोरेन्ट को बार लाईसेंस की संस्तुति शासन को अग्रसारित किये जाने से पूर्व लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित प्रखण्ड की रोड साईड कन्ट्रोल एक्ट को संज्ञान में लेते हुए प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(6) प्रस्तावित बार की पार्किंग का कुल क्षेत्रफल तथा पार्किंग के क्षेत्रफल के अनुसार कुल कितने Two Wheeler(दो पहिया) तथा कुल कितने Four Wheeler एक समय में पार्किंग स्थल पर खडे हो सकते है।

(7) बार/रेस्टोरेन्ट में कम से कम 20 ग्राहकों के एक साथ बैठने की समुचित व्यवस्था हो।

(8) बार कक्ष का कुल क्षेत्रफल तथा एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान बैठने को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित बार कक्ष में कितने व्यक्ति एक समय में बैठ सकते हैं।

(9) रेस्टोरेन्ट में बार कक्ष व फेमिली कक्ष अलग अलग उपलब्ध हो।

(10) बार में मदिरा की किस्मों के प्रदर्शन के लिए शो केस की व्यवस्था हो।

(11) पुरूषों एवं महिलाओं के लिए अलग अलग टायलेट की व्यवस्था होटल/रेस्टोरेन्ट में हो।

(12) पर्यटन की दृष्टि से बार/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन दिये जाने की उपयोगिता के सम्बन्ध में आख्या।

समस्त आब० निरी०
जनपद देहरादून
क्र० आव० आर्थि० ...

15/X/11

(13) शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से बार/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में पुलिस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन की आख्या।

(14) बार अनुज्ञापन दिये जाने से क्या निकटवर्ती विदेशी मदिरा/देशी मदिरा की दुकानों के राजस्व पर क्या प्रभाव पडेगा इस सम्बन्ध में भी सम्यक विचार किया जाय।

(15) प्रस्तावित होटल/बार अनुज्ञापन के सन्निकट कोई अन्य होटल अथवा बार अनुज्ञापन है अथवा नहीं।

(16) बार अनुज्ञापनों की संस्तुति के सम्बन्ध में विचार करते समय अन्य बिन्दुओं को ध्यान में रखने के साथ साथ (क) स्थान की उपयुक्तता, (ख) पात्रता स्तर(खाद्य लाईसेंस आदि) (ग) भोजन का स्तर (शाकाहारी/मांसाहारी/पेय पदार्थ/नाश्ता आदि की उपलब्धता का विवरण) स्थिति के बारे में विशेष ध्यान दिया जाय।

(17) होटल/रेस्टोरेन्ट के वार्षिक टर्न ओवर की आख्या।

(18) आवेदक अनुज्ञापी का पूर्ववत्त एवं ख्याति भी देखी जाय।

(19) सम्बन्धित होटल/रेस्टोरेन्ट जिसमें बार प्रस्तावित है, का सम्पूर्ण (सभी मंजिलों का) मानचित्र जो संबंधित शहर/ कस्बे की मानचित्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकरण/नगर पालिका आदि द्वारा अधिकृत वास्तु निर्माता (Architect) से अनुमोदित हो।

(20) सम्बन्धित होटल/रेस्टोरेन्ट से सटे चारो दिशाओं में स्थित भवन/मार्ग आदि का विवरण।

(21) न्यूनतम रू0 5.50 लाख पके भोजन की बिक्री के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग से निर्गत प्रमाण पत्र।

उक्त समस्त बिन्दुओं पर आख्या पूर्ण कराये जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय स्तर पर 02 माह की समय सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। उक्त समय सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को आवश्यक आख्याओं के साथ आबकारी आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। आबकारी आयुक्त कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं आवश्यक आख्याओं को पंजीकृत करके उन पर कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जायेगी।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सुरेन्द्र सिंह रावत
सचिव

संख्या: 8020/XXIII/2011/05(13)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 आबकारी मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव